न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
19 / 2021	01.02.2021	01.02.2021

उनवान

1. सजना पत्नी श्री सत्यवीर
2. ज्योति पुत्री श्री सत्यवीर जातियान जाट निवासीयान नागंलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

वादियागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रतिवादी

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

—: निर्णय :—

दिनांक :— 01.02.2021

उपस्थिति :—
1— श्री जगन्नाथ यादव, वकील वादीगण

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 180 रकबा 0.34 हैक0, व ख0 नं0 9 रकबा 0.18 हैक0, 16 रकबा 0.11 हैक0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक0, व ख0 नं0 66 रकबा 0.11 हैक0, 564 रकबा 0.89 हैक0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक0, वाके ग्राम नागंलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो इस वाद में खाते में वादियागण का नाम सजना देवी व ज्योति कुमारी दरज कराया है, वह गलत कराया है, जो इस वाद में विवादित है।
2. यह है कि उक्त समस्त आराजी वादियागण एवं वादियागण के परिवार की दादालायी की आराजी है। जो मिन वादियागण [illegible] में प्राप्त आराजी है।
3. यह है कि मिन वादियागण के [illegible] हल्का [illegible] द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय गलती से सजना देवी व ज्योति [illegible] किया जबकि मिन वादियागण के सभी दस्तावेज में जैसे [illegible] वोटर आइडी, बैंक पासबुक व शिक्षा संबंधी दस्तावेजात आदि में सज[illegible] व ज्योति नाम दर्ज है। परन्तू इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी की गलती से सजना देवी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:13:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

ज्योति कुमारी दर्ज कर दिया तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में भी सजना देवी व ज्योति कुमारी गलत दर्ज हो गया। जबकि वादियागण का नाम सही रूप से सजना व ज्योति है। इसलिये वादियागण उक्त समस्त राजस्व रिकोर्ड में सजना व ज्योति नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी हाल ख0 नं0 180 रकबा 0.34 हैक्0, व ख0 नं0 9 रकबा 0.18 हैक्0, 16 रकबा 0.11 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक्0, व ख0 नं0 66 रकबा 0.11 हैक्0, 564 रकबा 0.89 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्0, वाके ग्राम नागंलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में नाम सजना देवी व ज्योति कुमारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सजना व ज्योति नाम का इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2069–72, इन्तकाल संख्या 582, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिकाए, आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल ख0 नं0 180 रकबा 0.34 हैक्0, व ख0 नं0 9 रकबा 0.18 हैक्0, 16 रकबा 0.11 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक्0, व ख0 नं0 66 रकबा 0.11 हैक्0, 564 रकबा 0.89 हैक्0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्0, वाके ग्राम नागंलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में नाम सजना देवी व ज्योति कुमारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर सजना व ज्योति नाम का इन्द्राज किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे [illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:13:57 IST
Reason: SelfAttested

01·2·21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0